

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग

दूरभाष:-2415091-95, फेक्स:-0294 - 2410526

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 04)/2025/ई- 10269

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम. ई.टी एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके अवधि दिनांक 01.04.2025 अथवा संविदा निष्पादन की दिनांक जो भी बाद में हो से 31-03-2027 तक के लिये) ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित की जाती है :-

क्र.स.	ठेका क्षेत्र का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	240	खनि अभियन्ता, सिरौही	जिला सिरौही की तहसील शिवगंज, पिण्डवाडा एवं रेवदर की राजस्व सीमा में खनिज कार्टज, फैल्सपार व केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज कार्टज, फैल्सपार व केलसाईट	ईआरसीसी	कार्टज, फैल्सपार व केलसाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	27968808	27.02.25	28.02.25	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	228	खनि अभियन्ता, बांसवाडा	जिला बांसवाडा की तहसील बांगीदोरा, घाटोल, कुशलगढ, गांगडतलाई, अरथुना, गढी एवं सज्जनगढ की राजस्व सीमा में प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, मेसेनरीस्टोन, लाईमस्टोन, कार्टज, मुर्रम एवं साधारण मिट्टी	ईआरसीसी	सोपस्टोन, मेसेनरीस्टोन, लाईमस्टोन, कार्टज, मुर्रम एवं साधारण मिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	36306803	27.02.25	28.02.25	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर
3	193 व 220	खनि अभियन्ता, आमेट	जिला राजसमन्द की तहसील आमेट, सरदारगढ, देवगढ, भीम तथा जिला ब्यावर की तहसील ब्यावर के राजस्व ग्राम लगेतखेडा, बोरवा, शेखावास, बार, सारोठ, बिलियावास, व डुंगरखेडा की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज कार्टज, फैल्सपार, माईका, स्लेट स्टोन एवं फिलाईटशिष्ट व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	कार्टज, फैल्सपार, माईका, स्लेट स्टोन एवं फिलाईटशिष्ट व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	159531460	27.02.25	28.02.25	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.



4	229	खाने अभियन्ता, सिरौही	जिला सिरौही की तहसील सिरौही, रेवदर, शिवगंज व पिण्डवाडा की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	377103100	27.02.25	28.02.25	11.30 ए.एम. से 01.30 पी.एम.
5	32	खाने अभियन्ता, चित्तौडगढ़	जिला चित्तौडगढ़ की तहसील चित्तौडगढ़ के क्वारी क्षेत्र मान्दलदेह में खनिज मार्बल के प्रभावशील क्वारी लाईसेन्सों से निर्गमित खनिज मार्बल (शिड्यूल-II) के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	आरसीसी	मार्बल (शिड्यूल-II) के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/ माप)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2664545	27.02.25	28.02.25	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
6	159	खाने अभियन्ता, सौजतसिटी	सम्पूर्ण जिला पाली एवं जिला ब्यावर की तहसील जैतारण की राजस्व सीमा में खनिज चायनाक्ले, बॉल क्ले व फॉयर क्ले, सिलिका सेण्ड, कार्टज व फेल्सपार के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चायनाक्ले, बॉल क्ले व फॉयर क्ले, सिलिका सेण्ड, कार्टज व फेल्सपार	ईआरसीसी	चायनाक्ले, बॉल क्ले व फॉयर क्ले, सिलिका सेण्ड, कार्टज व फेल्सपार	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	86202690	27.02.25	28.02.25	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
7	251	खाने अभियन्ता, जैसलमेर	जिला जैसलमेर की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिक अधिशुल्क एवं खातेदारी भूमि में खनिज जिप्सम के परमित क्षेत्रों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क संग्रहण ठेका	आरसीसी / ईआरसीसी	जिप्सम	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	106172289	27.02.25	28.02.25	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
8	103	सहायक खाने अभियन्ता, ऋषभदेव	जिला उदयपुर की तहसील ऋषभदेव व खरवाडा की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	18657000	27.02.25	28.02.25	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
9	207	खाने अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाडा, पीपाड शहर व भोपालगढ (ग्राम सुवाणा को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज लाइमस्टोन (अप्रधान) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाइमस्टोन (अप्रधान)	ईआरसीसी	लाइमस्टोन (अप्रधान)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	831967909	27.02.25	28.02.25	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
10	223	खाने अभियन्ता, बून्दी-I	जिला बून्दी (खाने अभियन्ता, खण्ड I एवं खण्ड II) के क्षेत्राधिकार में स्थित) की राजस्व सीमा में खनिज सेण्डस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन (शिड्यूल-II) के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/माप)	ईआरसीसी	सेण्डस्टोन (शिड्यूल-II) के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/माप)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	430154600	27.02.25	28.02.25	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
11	204	खाने अभियन्ता, बांसवाड़ा	जिला बांसवाड़ा की तहसील बांसवाड़ा व गढी की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट	ईआरसीसी	मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	355351152	03.03.25	04.03.25	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
12	157	खाने अभियन्ता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर, बिच्छीवाडा, सागवाडा, गलियाकोट व चिखली की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	30106900	03.03.25	04.03.25	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.

13	28	सहायक खाने अभियन्ता, रूपवास	जिला भरतपुर की तहसील रूपवास व बयाना की राजस्व सीमा में खनिज सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/ माप)	ईआरसीसी	सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/ माप)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	467574700	03.03.25	04.03.25	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
14	214	खाने अभियन्ता, मकराना	जिला- डोडवाना कुचामन की तहसील मकराना के राजस्व ग्राम मकराना, बोरानवड़, कोलाडूंगरी व मोरेड तथा तहसील परबतसर के राजस्व ग्राम बिदियाद व गुणावती व मेहगांव में प्रभावशील कारी लाईसेंसों से निर्गमित होने वाले खनिज खनिज मार्बल व मार्बल पाउडर	आरसीसी	मारबल व मारबल पाउडर	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	473060636	03.03.25	04.03.25	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
15	81	खाने अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाड़ा व पोपाड़ शहर के ग्राम सोवनिया, रणसीगांव, खेजडुला की राजस्व सीमा में प्रभावशील कारी लाईसेंस क्षेत्र से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	3403786	03.03.25	04.03.25	01.30 पी.एम. से 03.30 पी. एम.
16	80	खाने अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाड़ा व पोपाड़ शहर के ग्राम सोवनिया, रणसीगांव, खेजडुला की राजस्व सीमा में प्रभावशील कारी लाईसेंस क्षेत्र से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1975727	03.03.25	04.03.25	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
17	206	खाने अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाड़ा व पोपाड़ शहर के ग्राम सोवनिया, रणसीगांव, खेजडुला की राजस्व सीमा में प्रभावशील कारी लाईसेंस क्षेत्र से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	531266100	03.03.25	04.03.25	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
18	233 A	खाने अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाड़ा व पोपाड़ शहर के ग्राम सोवनिया, रणसीगांव, खेजडुला की राजस्व सीमा में प्रभावशील कारी लाईसेंस क्षेत्र से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	145608200	03.03.25	04.03.25	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
19	233 B	खाने अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाड़ा व पोपाड़ शहर के ग्राम सोवनिया, रणसीगांव, खेजडुला की राजस्व सीमा में प्रभावशील कारी लाईसेंस क्षेत्र से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	110787880	03.03.25	04.03.25	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
20	54, 57 व 173	सहायक खाने अभियन्ता, कोटपूतली	जिला कोटपूतली-बहरोड की तहसील कोटपूतली एवं पावटा की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, मार्बल, लाईमस्टोन, कार्टज, फेल्सपार, केल्साईट, चाईना क्ले, व्हाईट क्ले, फायर क्ले, डोलोमाईट, सिलिका सेण्ड, रेड ऑकर, यलो ऑकर एवं कार्टजाईट	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, मार्बल, लाईमस्टोन, कार्टज, फेल्सपार, केल्साईट, चाईना क्ले, व्हाईट क्ले, फायर क्ले, डोलोमाईट, सिलिका सेण्ड, रेड ऑकर, यलो ऑकर एवं कार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1117830211	05.03.25	06.03.25	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
21	180	खाने अभियन्ता, चित्तौडगढ़	जिला चित्तौडगढ़ की तहसील चित्तौडगढ़ एवं गंगरार की राजस्व सीमा में खनिज रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड, कार्टज एवं कार्टजाईट प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड, कार्टज एवं कार्टजाईट	ईआरसीसी	चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सेण्ड, कार्टज व कार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	122619000	05.03.25	06.03.25	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.

22	210	खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर	जिला श्रीगंगानगर की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम तथा खनिज जिप्सम के परमिटों से निर्गमित खनिज जिप्सम	ईआरसीसी	जिप्सम	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	547864553	05.03.25	06.03.25	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
23	40	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर की तहसील दूदू, मौजमाबाद व फागी की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन (चेजा पत्थर), गिट्टी, ग्रेनाईट, फेल्सपार, कार्टज व माईका	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन (चेजा पत्थर), गिट्टी, ग्रेनाईट, फेल्सपार, कार्टज व माईका	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	360076650	05.03.25	06.03.25	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
24	41	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर की तहसील फुलेरा, जोबनेर व किशनगढ़-रेनवाल की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, गिट्टी, फेल्सपार व कार्टज	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, गिट्टी, फेल्सपार व कार्टज	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	146789885	05.03.25	06.03.25	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
25	53	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली	जिला जयपुर की तहसील शाहपुरा की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, कार्टज, सिलिका सेण्ड	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, कार्टज, सिलिका सेण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	28295100	05.03.25	06.03.25	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
26	266	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील रियाबड़ी की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	20756430	05.03.25	06.03.25	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
27	249	खनि अभियन्ता, भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील बदनोर की राजस्व सीमा में प्रभावशील कारी लाईसेन्सों से निर्गमित खनिज फिलाईट शिष्ट	आरसीसी	फिलाईट शिष्ट	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	6053400	06.03.25	07.03.25	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
28	176	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर की तहसील आमेर, जालसू, रामपुरा-डाबडी, जमवारामगढ़, बस्सी, तूंगा, कोटखावदा, माधोराजपुरा, चाकसू व सांगोनेर की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज कार्टज, सिलिका सेण्ड, सोपस्टोन, चाईना क्ले, फेल्सपार, पायरोफलाईट, माईका, कार्टजाईट एवं ग्रेनाईट (तहसील बस्सी, तूंगा व सांगोनेर की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के खनन पट्टों में समावेशित खनिज कार्टजाईट को छोड़कर)	ईआरसीसी	कार्टज, सिलिका सेण्ड, सोपस्टोन, चाईना क्ले, फेल्सपार, पायरोफलाईट, माईका, कार्टजाईट एवं ग्रेनाईट (तहसील बस्सी, तूंगा व सांगोनेर की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के खनन पट्टों में समावेशित खनिज कार्टजाईट को छोड़कर)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	31349728	06.03.25	07.03.25	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.

29	183	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	जिला भीलवाड़ा की तहसील जहाजपुर, काछोला, कोटड़ी, बनेड़ा, भीलवाड़ा, सवाईपुर, हमीरगढ़ एवं माण्डलगढ़ की राजस्व सीमा में स्वीकृत खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, चायनाक्ले, रेडऑकर व यलोऑकर, पायरोफ्लाइंट, डोलोमाईट	ईआरसीसी	सोपस्टोन, चायनाक्ले, रेडऑकर व यलोऑकर, पायरोफ्लाइंट, डोलोमाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	155267280	06.03.25	07.03.25	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
30	166 (212)	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेड़ता व रियांबड़ी की राजस्व सीमा में खनिज चायनाक्ले, कार्टज, फेल्सपार, केओलिन, सिलिका सेण्ड, पिली मिट्टी के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज चायनाक्ले, कार्टज, फेल्सपार, केओलिन, सिलिका सेण्ड, पिली मिट्टी	ईआरसीसी	चायनाक्ले, कार्टज, फेल्सपार, केओलिन, सिलिका सेण्ड, पिली मिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	82881425	06.03.25	07.03.25	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
31	184	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	जिला भीलवाड़ा की तहसील जहाजपुर, काछोला, कोटड़ी, शाहपुरा, फुलियाकलां, माण्डलगढ़, व सवाईपुर की राजस्व सीमा में खनिज अभ्रक, फेल्सपार, कार्टज, सिलिकासेण्ड व केल्साईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज अभ्रक, फेल्सपार, कार्टज, सिलिकासेण्ड व केल्साईट	ईआरसीसी	अभ्रक, फेल्सपार, कार्टज, सिलिका सेण्ड व केल्साईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	37723176	06.03.25	07.03.25	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.

(अ) महत्वपूर्ण शर्तें—

- ई-नीलामी हेतु बोली वार्षिक ठेका राशि की ली जावेगी। विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 8 में वर्णित "ठेके की आरक्षित राशि" के उपर बोली प्रारंभ की जायेगी। सफल बोलीदाता की वार्षिक बोली 25 लाख रुपये तक होने पर प्रथम किश्त के रूप में बोली राशि का 25 प्रतिशत संविदा निष्पादन से पूर्व एवं शेष राशि संविदा के अनुसार अग्रिम रूप से तीन त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 25 लाख रुपये से अधिक है तो राशि संविदा अनुसार 12 समान किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त संविदा निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।
- ठेकों की वार्षिक राशि ई-नीलामी में प्राप्त होने वाली उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित की जावेगी। परंतु ठेका स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी स्वतंत्र होंगे। यदि रॉयल्टी, परमिट फीस या अन्य चार्ज (जो लागू हो) में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो उक्त परिवर्तन की तिथि से ठेका राशि में आनुपातिक बढ़ोतरी/ कमी की जायेगी।
- ठेका किसी अन्य को हस्तान्तरण / सबलेट तथा अर्द्धपण (सरेन्डर) नहीं किया जा सकेगा।
- ठेका अवधि में प्रभावी खननपट्टा/ क्वारी लाईसेंस / परमिट के खण्डित/ सरेन्डर होने या नये स्वीकृत होने अथवा प्रभावी खननपट्टा के स्थिर भाटक में संशोधन होने/ न्यायालय / शासन / अन्य कारणों से खनन पट्टा / क्वारी लाईसेंस / परमिट के स्थायी या अस्थायी रूप से बंद कराये जाने या होने से वार्षिक ठेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- ठेकों में कोई भी व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी आदि बोली में भाग ले सकते हैं।
- वार्षिक ठेका राशि रूपया 10 करोड़ से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर कम्प्यूटराईज तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा।
- ई-नीलामी हेतु गाईडलाईन एवं ठेके की शर्तों का उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 (समय-समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है। ठेकेदार ठेके की सभी नियम/ शर्तों एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 व उसमें होने वाले संशोधनों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। साथ ही ठेकेदार को शासन अथवा विभागीय अधिकारी के निदेशों की पालना करनी होगी।
- यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता मेसर्स एम.एस.टी.सी. लि0 की वेबसाईट mstcecommerce.com पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:—

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही मेसर्स एमएसटीसी लि0 के पोर्टल पर पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा मेसर्स एमएसटीसी लि0 के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 व ई-मेल आई डी mstcjaipur@mstcindia.co.in है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को मेसर्स एमएसटीसी लि0 के प्लेटफार्म पर स्वयं ही पंजीयन करना होगा, जो कि ओटीपी बेस्ड है। पंजीयन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस राशि रूपये 10000/- व जी.एस.टी. मेसर्स एमएसटीसी लि0 में जमा करानी होगी। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर बोलीदाता का लॉगईन बन जाता है। इसके लिए बोलीदाता को किसी प्रकार के दस्तावेज मेसर्स एमएसटीसी लि0 में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(स) ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर मेसर्स एमएसटीसी लि0 में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग-अलग अमानत राशि जमा कराये। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी। अमानत राशि ठेके की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होगी।
- 2 जिस ठेके में बोली प्राप्त होती है। उसमें भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओं की अमानत राशि ठेका समाप्ति के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट में बोलीदाता के वालेट में लौटा दी जायेगी। जिससे बोलीदाता लौटाई गई अमानत राशि को अन्य ठेके की बोली में भाग लेने हेतु काम में ले सकता है। जिन ठेकों की बोली सायं 6:00 बजे के पश्चात् समाप्त होगी उनमें उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की बिड सिक्यूरिटी राशि उनके वालेट में बोली समाप्ति के अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक सेवा प्रदाता कंपनी (MSTC Ltd) द्वारा लौटाई जायेगी, क्योंकि सायं 6:00 बजे के पश्चात् किसी भी ठेके की बोली नये सिर से प्रारंभ नहीं होगी।
- 3 अमानत राशि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।
- 4 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 5 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा मेसर्स एमएसटीसी लि0 को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 6 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रूपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में नियम 37(7)(ए) के अंतर्गत निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-

- i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी ना बकाया प्रमाण पत्र जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
- ii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावे।
1. यदि बोलीदाता **Individual** (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
- नोट**—शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
- iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
- iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
- v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
- vi PAN card / GSTIN की प्रति।
- vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
- viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।
- 8 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उपरोक्त बिन्दु संख्या 7 अनुसार दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो सफल बोलीदाता उच्चतम बोली राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ आगामी 15 दिवस की अवधि पालना हेतु बढी हुई मानते हुये आवश्यक पूर्तिया कर सकेगा। नियमानुसार उपरोक्त समायवधि में दस्तावेज जमा नहीं कराने पर नियम 37(7)(बी) के प्रावधानों अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा जमा अमानत राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों के लिए ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

(दीपक तंवर)
निदेशक

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 04)/2025/ई- 10269

प्रतिलिपि :-

- 1- शाखा प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन मेसर्स एम. एस. टी. सी. लि0 की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-
- अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब – अधीक्षण खनि अभियंता – उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद ।

स– खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द-1/II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।

द– खनि अभियन्ता (याचिका), जयपुर/जोधपुर को निदेशालय के आदेश क्रमांक निदे/प.6(1)कास/प. केवियट/2024/1231 दिनांक 06-03-2024 के क्रम में सूचनार्थ ।

य –सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरू/ नीमकाथाना/सावर/ खेतड़ी ।

(दीपक तंवर)

निदेशक